डाक / ईमेल / अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(10)खा.वि./आवंटन/2021 जयपुर, दिनांक : 28-11-2022

गेहूं आवंटन आदेश माह दिसम्बर, 2022
(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत)
(खाद्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 7–1/2019–बी.पी.–III(पार्ट) (ई–371225), दिनांक 29.09.2022 के क्रम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल तथा स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित) राशनकार्डधारियों को **05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह निःशुल्क** वितरित किये जाने बाबत पात्रतानुसार **माह दिसम्बर, 2022** गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत, खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न(गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। **माह दिसम्बर, 2022** के पेटे गेहूं का मासिक आवंटन श्रेणियों में प्रत्येक जिले में उचित मूल्य दुकानवार अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी को निःशुल्क पात्रतानुसार सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था (SCM) के माध्यम से गेहूं आवंटन किया गया है।

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की संख्या के आधार पर **माह दिसम्बर, 2022** का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

5– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न(गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। ***जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें।***

6– जिलेवार खाद्यान्न(गेहूं) का आवंटन जिले की कुल ऑफलाईन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

7– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

8– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

9– गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

10— सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।

11— ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन में एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।

12— "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

नोटः— माह दिसम्बर, 2022 हेतु आवटित गेहूं का वितरण माह जनवरी, 2023 में किया जावेगा ।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

28·11·22

(रामस्वरूप)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःएफ 13(10)खा.वि. / आवंटन / 2021 — जयपुर, दिनांक : 28-11-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्री अरूण कुमार सेगल, अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 7—1 / 2019—बी.पी. —III(पार्ट) (ई—371225), दिनांक 29.09.2022 के कम में प्रेषित है।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य) / उपायुक्त(प्रथम / द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
9. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) के रिलीज आर्डर स्थानीय एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
10. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान / प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि, **नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत—प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें।**
12. ए.सी.पी.(खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि जनआधार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों को ई—पोस से वितरण पर रोक लगाये जाने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पार्टल पर इन्द्राज कराने हेतु आगामी माह की 15 तारीख तक ऑप्सन खुलवाने की कार्यवाही करें।
13. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

(रामस्वरूप)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट-1

PMGKAY Wheat Allotment December-2022

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		1 Rs per K.G			2 Rs per K.G	
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	327.630	1011.622	419.136	6164.948	7923.336
2	Alwar	396.228	1518.216	533.156	9898.450	12346.050
3	Banswara	842.590	2564.327	767.401	3041.308	7215.626
4	Baran	844.370	911.264	203.794	2799.817	4759.245
5	Barmer	435.041	2697.388	418.870	5825.185	9376.484
6	Bharatpur	317.295	1493.153	354.228	5817.688	7982.364
7	Bhilwara	417.951	1727.599	573.241	4697.235	7416.026
8	Bikaner	230.786	2178.932	481.551	3492.085	6383.354
9	Bundi	215.226	741.665	217.603	2638.865	3813.359
10	Chittaurgarh	487.119	1019.987	655.831	2452.151	4615.088
11	Churu	465.049	2000.693	419.487	3764.326	6649.555
12	Dausa	204.107	1177.978	173.863	4141.438	5697.386
13	Dhaulpur	172.286	708.137	150.409	2948.527	3979.359
14	Dungarpur	614.742	2731.827	372.379	2334.983	6053.931
15	Ganganagar	179.026	1414.868	160.976	3860.441	5615.311
16	Hanumangarh	247.594	1098.394	193.026	3472.958	5011.972
17	Jaipur	246.289	1714.519	549.046	12686.732	15196.586
18	Jaisalmer	118.814	520.266	129.338	1311.671	2080.089
19	Jalor	472.495	1658.048	355.876	3525.334	6011.753
20	Jhalawar	300.974	1235.673	310.376	3584.935	5431.958
21	Jhunjhunun	188.126	577.583	221.720	5475.437	6462.866
22	Jodhpur	174.495	1954.500	222.664	8467.861	10819.520
23	Karauli	333.752	1573.090	288.141	2433.756	4628.739
24	Kota	162.583	1159.011	180.838	3173.376	4675.808
25	Nagaur	328.335	1479.911	400.064	9469.526	11677.836
26	Pali	378.826	1475.360	388.584	4419.760	6662.530
27	Pratapgarh	220.702	1114.311	270.524	1653.770	3259.307
28	Rajsamand	369.891	1095.694	297.056	2663.631	4426.272
29	Sawai Madhopur	290.085	921.206	326.544	2738.103	4275.938
30	Sikar	167.137	862.896	190.811	7510.603	8731.447
31	Sirohi	203.471	677.959	215.603	2781.709	3878.742
32	Tonk	317.672	934.246	388.474	3384.969	5025.361
33	Udaipur	1030.314	4281.317	907.754	5454.208	11673.593
	Total	**11701.001**	**48231.640**	**11738.364**	**148085.786**	**219756.791**

(रामस्वरूप)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव